समाहरणालय गढ़वा(जिला कल्याण शाखा)

विज्ञापन सं0–1/2018–19 संदर्भित PR 183647 Welfare (18-19)-D

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2018–19 में गढ़वा जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में खाद्य–अखाद्य आदि सामग्रियों के आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता का चयन एवं दर निर्धारित हेतु अति अल्पकालिन निविदा विज्ञापन सं0–1/2018–19 (PR 183647 Welfare (18-19)-D से प्रकाशित है। प्रकाशित निविदा की शर्त prdjharkhand.in पर एवं गढ़वा जिला के Website (garhwa.nic.in) पर अपलोड किया गया है। अपलोड किये गये शर्त में लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि का निराकरण करते हुए निम्नवत संशोधन किया जाता है।

1. **A- तकनिकी बीड की शर्तों के अन्तर्गत :–**

- कण्डिका 2 के अन्तर्गत Vat का अद्यतन मासिक प्रतिवेदन के स्थान पर GST का अद्यतन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करना होगा पढ़ा जाय।
- कण्डिका 5 के अन्तर्गत निविदादाताओं को दूकान/प्रतिष्ठान का बिक्रीकर निबंधन प्रमाण पत्र के स्थान पर GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति देना होगा पढ़ा जाय।
- कण्डिका 8 (ii) के अन्तर्गत बिक्रीकर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र के स्थान पर GST का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र पढ़ा जाय।

2. **C- निविदा की अन्य शर्तों के अन्तर्गत :–**

- कण्डिका 6 में अंकित शर्त निविदा के आधार पर स्वीकृत दर वितीय वर्ष 2017–18 के लिए मान्य होगा के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मान्य होगा पढ़ा जाय।

इस हद तक विज्ञापन सं0–1/2018–19 के लिए प्रकाशित शर्त संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें यथावत रहेंगे। Website (garhwa.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

8/5

उप विकास आयुक्त,
गढ़वा।

11

समाहरणालय गढ़वा(जिला कल्याण शाखा)

(अति अल्पकालिन निविदा) विज्ञापन सं0–01/2018–19

वित्तीय वर्ष 2018–19 में गढ़वा जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए खाद्य–अखाद्य आदि सामग्रियों का दर निर्धारण/आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता के चयन के निमित मुहरबंद निविदा दिनांक– 16.5.2018 .... को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा दिनांक– 17.5.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे क्रय समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। निविदादाताओं को निविदा से संबंधित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

निविदा की शर्त एवं सूची :– सामग्रियों की सूची एवं निविदा से संबंधित शर्तों को prdjharkhand.in पर एवं गढ़वा जिला के Website (garhwa.nic.in) पर भी देखा जा सकता है/प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा के सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है।

6/28/4

उप विकास आयुक्त,
गढ़वा।

समाहरणालय गढ़वा(जिला कल्याण शाखा)

(अति अल्पकालिन निविदा) विज्ञापन सं0–01/2018–19/जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा से संबंधित शर्तें निम्नवत है :–

(A) तकनिकी बीड की शर्तें :–

1. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के पदनाम से 200000.00 (दो लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। अन्य किसी तरिके से अग्रधन की राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उनका निविदा रद्द समझा जायेगा।
2. निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2017–18 का Certified Audit Report देना अनिवार्य है, जिसमें वार्षिक Turnover 20000000.00 (दो करोड़) हो एवं VAT का अद्यतन मासिक प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा में सामग्रियों का दर बाजार दर से अत्यधिक कम होने पर मान्य नहीं होगा तथा उच्च गुणवत्ता के आधार पर सामग्रियों का चयन किया जायेगा।
4. निविदा के साथ माप–तौल एवं बाजार समिति का अद्यतन अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाताओं को दूकान/प्रतिष्ठान का बिकीकर निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति देना होगा।
6. खाद्यान्न सामग्री के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत Food Safety License की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
7. निविदादाता को उपायुक्त स्तर का अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. (i) निविदा के साथ निविदादाताओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 सहित तीन वर्ष का आयकर रिटर्न (ii) बिकी कर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र (iii) पैन कार्ड एवं GST Registration का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. निविदादाताओं को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिले के वाणिज्यकर विभाग से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
10. निविदादाताओं को सरकारी विद्यालय/कार्यालय में खाद्य–अखाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री आपूर्ति करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. निविदादाताओं का उद्योग विभाग से निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. निविदा के साथ काली सूची मे नाम दर्ज नहीं रहने का मूल अद्यतन शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

(B) वित्तीय बीड :–

(i) निविदादाताओं को खाद्य–अखाद्य सामग्री आदि के लिए ईकाईवार अलग–अलग सामग्रियों से संबंधित सभी कर सहित एक हीं दर (कम्प्यूटर से प्रिंट) देना होगा। किसी भी स्थिति में दो दर वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे रद्द समझा जायेगा।

(C) निविदा की अन्य शर्तें :–

1. क्रय समिति के समक्ष सर्व प्रथम तकनीकि बीड खोला जायेगा। तकनिकी बीड में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। तकनीकि बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में देना होगा। वित्तीय बीड कम्प्यूटर से प्रिंट होना अनिवार्य है।
2. सभी सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित विद्यालयों में पहुँचाकर करना होगा, जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का हथ[illegible]ान एवं परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
3. सामग्रियों का स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा।
4. दर निर्धारण के समय क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों का एक हीं नमूना लाना अनिवार्य होगा। नमूना प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा स्वतः अस्वीकृत समझा जाएगा।
5. निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सामानों की आपूर्ति नमूने के अनुरूप करना अनिवार्य होगा तथा आवंटन उपलब्ध होने पर हीं राशि का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर काली सूची में नाम दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।
6. निविदा के आधार पर स्वीकृत दर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ही मान्य होगा।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या किसी भी सिंगल आईटम को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 3 दिनों के अन्दर 100 रू0 का नन–जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

उप ~~विकास~~ आयुक्त,
गढ़वा।